कार्यालय–अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,

इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।

E-mail :nodalofficerddn@gmail.com Phone/ Fax: 0135-2767611

पत्रांक– 554 /FP/UK/ROAD/8961/2014 :देहरादून:दिनांक: 24 अगस्त, 2020

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक,
भारत सरकार,
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
क्षेत्रीय कार्यालय (उत्तर–मध्य क्षेत्र),
25 सुभाष रोड, देहरादून।

विषयः– **Diversion of 10.71 ha of forest land for construction of motor road from Padair Gaon to Pairi motor road (19.800 km) in favour of Gramya Vikas Vibhag (PMGSY) with in the jurisdiction of Badrinath Forest Division, Distritct Chamoli, Uttarakhand. (Online Proposal No. FP/UK/ROAD/8961/2014)**

संदर्भः– भारत सरकार की पत्र संख्या–8बी/यू0सी0पी0/06/122/2015/एफ0सी0/1049 दिनांक 27–08–2018

महोदय,

कृपया भारत सरकार के उपर्युक्त विषयक संदर्भित पत्र का संज्ञान लेने का कष्ट करें, जिसके द्वारा विषयांकित वन भूमि प्रत्यावर्तन प्रकरण पर कतिपय शर्तो के अधीन सैद्धान्तिक स्वीकृति निर्गत की गयी है। उक्त के अनुपालन में अधिशासी अभियन्ता, पीएमजीएसवाई खण्ड, लो0नि0वि0, कर्णप्रयाग के पत्रांक 406/19सी0 दिनांक 22–06–2020 के द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालन आख्या इस कार्यालय को प्रेषित की गयी है, जिसे निम्न प्रकार संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है :–

1. शर्त संख्या–1 के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रत्यावर्तित भूमि के बदले 21.42 है0 (पंडेरगांव 8.928 हे0, सीक 5.813 हे0 एवं बूराअला 6.679 हे0) सिविल सोयम भूमि पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं उसके 10 वर्षो तक रख–रखाव हेतु देय धनराशि रू0 59,69,004.00 मात्र ऑनलाईन चालान के माध्यम से तदर्थ कैम्पा कोष में जमा कराया जा चुका है। प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चिन्हित 21.42 है0 (पंडेरगांव 8.928 हे0, सीक 5.813 हे0 एवं बूराअला 6.679 हे0) सिविल सोयम भूमि को वन विभाग के पक्ष में म्यूटेशन किया जा चुका है, म्यूटेशन किये गये भूमि के अभिलेख की प्रति संलग्न कर प्रेषित की जा रही है। **(संलग्नक–1)**
2. शर्त संख्या–2 के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा एन0पी0वी0 की देय धनराशि रू0 90,49,950.00 मात्र ऑनलाईन चालान के माध्यम से तदर्थ कैम्पा कोष में जमा कराया जा चुका है।
3. शर्त संख्या–3 के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रेषित एन0पी0वी0 की बचनबद्धता का प्रमाण–पत्र संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है। **(संलग्नक–2)**
4. शर्त संख्या–4 के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा उपरोक्तानुसार कुल जमा की गयी धनराशि रू0 1,50,18,954.00 मात्र के ऑनलाईन Paid रसीद की प्रति संलग्न कर प्रेषित की जा रही है। **(संलग्नक–3)**
5. शर्त संख्या–5 के अनुपालन में अनुपालन में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रेषित Strip Plantation के वचनबद्धता का प्रमाण–पत्र संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है। **(संलग्नक–4)**
6. शर्त संख्या–6 के अनुपालन में अनुपालन में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा संशोधित CA Scheme ऑनलाईन अपलोड कर दी गयी है, जिसकी छायाप्रति संलग्न कर प्रेषित की जा रही है। **(संलग्नक–5)**

अतः अनुरोध है कि विषयांकित प्रकरण पर वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत विधिवत स्वीकृति निर्गत किये जाने पर विचार करने का कष्ट करें।

<u>संलग्न–यथोपरि</u>

भवदीय,

24/8/20

(डी0जे0के0 शर्मा)
अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी

संख्या– /FP/UK/ROAD/8961/2014 दिनांकित।
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. प्रभागीय वनाधिकारी, बद्रीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर।
2. अधिशासी अभियन्ता, पीएमजीएसवाई खण्ड, लो0नि0वि0, कर्णप्रयाग।

(डी0जे0के0 शर्मा)
अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी